

07/12/2021

रपा 3122

वादि्या की ओर से गार्धना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर पत्रावली पेशी में ली गई।  
 वादि्या की ओर से गार्धना पत्र प्रस्तुत कर  
 निवेदन किया गया कि वादि्या वादपत्र में  
 भाग कोई कार्यवाही नहीं चाही है, वादपत्र  
 प्रत्याहरित करने की इतुफरी चाही गई है।  
 अतः वादि्या का गार्धना पत्र स्वीकार  
 का बाद प्रत्याहरित करने की इतुफरी आज  
 की प्राणी है। पत्रावली केवल शुमार वृद्ध  
 नम्बर से कम होकर दाखिल करार हो।

र. नि. संभवा

पत्रावली  
शुमार

उपखण्ड अधिकारी  
खैरती (मुन्डर)

